International Journal ofAdvanced Educational Research
ISSN: 2455-6157; Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 2; Issue 3; May 2017; Page No. 148-150

महिला सशक्तिकरण में मूल्य शिक्षा का योगदान

डॉ० अशोक कुमार यादव

असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र), बी.एल. को.एड. कॉलेज, डूमरौली, बहरोड, अलवर, राजस्थान, भारत।

प्रस्तावना

नारी त्रैलोक्य जननी, नारी त्रैलेक्य रूपिणी।
नारी त्रिभुवन धारा, नारी भाक्ति स्वरूपिणी।।

नारी समस्त प्रगति का मूलाधार है। वह युग निर्माण के लिए तत्पर है। अपने कर्त्तव्यों एवं अधिकारों के लिए कटिबद्ध होकर कार्य क्षेत्र में उतर रही है। मनु के अनुसार –

''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः।''

नारी उपभोग व वासना की वस्तु नहीं बल्कि एक पवित्र आत्मा है, उसमें स्वाभिमान की भावना जागृत करना आवश्यक है। महिला कोई अशक्त जीव नहीं है क्योंकि सर्व नियन्ता प्रभु ने स्वयं सृजन की शक्ति प्रकृति स्वरूपा नारी को ही दी है। इस सन्दर्भ में यदि हम देखें तो वैदिक काल में नारी की स्थिति अत्यन्त सम्मानीय थी उसे पुत्री, पत्नी और माता तीनों रूप में गौरव प्राप्त था। यहाँ तक की उस काल में जो समाज के अराध्य देव थे, उसमें नारी शक्ति का नाम लिया जाता था। महाभारत में भी पत्नी को 'अर्द्वेभार्या मनुष्यस्य' कहा जाता था व ऋग्वेद व अथर्ववेद में पति–पत्नी के लिए सामूहिक रूप से 'दम्पती' शब्द का प्रयोग किया जाता था। यहाँ तक कि पत्नी के बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं माना जाता था। पत्नी रहित व्यक्ति को युद्ध करने का अधिकार भी नहीं था। यही कारण था कि अश्वमेघ यज्ञ करते समय श्री राम ने सीता की अनुपस्थिति में उनकी सोने की प्रतिमा को रखकर यज्ञ पूर्ण किया था। जब शंकराचार्य ने मंडल मिश्र को शास्त्रार्थ में हरा दिया था तो उनकी पत्नी भारती ने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा काफी उन्नत थी।

परन्तु धीरे–धीरे उत्तर वैदिक काल, जैन काल व बौद्धकाल से लेकर मध्य युग तक आते–आते नारी की स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गयी। ब्रिटिश काल में पाश्चात्य संस्कृति एवं सभ्यता के आने से भारतीयों में स्त्रियों की शिक्षा के प्रति उदार दृष्टिकोण आया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द ने नारी के अत्याचारों के खिलाफ तथा गाँधी जी ने भी बाल विवाह के विरूद्ध अपनी आवाज उठाई। इसी के परिणामस्वरूप स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय समाज के दृष्टिकोण में भी नारियों के प्रति कुछ बदलाव आया व महिलाओं को सशक्त बनाने की बात जोर पकड़ती गयी व विभिन्न संवैधानिक अधिकारों, उपबन्धों, महिला आयोग, राज्य व केन्द्र सरकारों की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला को सशक्त बनाने के प्रयास शुरू हुए।

इन प्रयासों का ही परिणाम है कि आज महिला विकास के हर क्षेत्र में अपनी सफलता के परचम लहरा रही है व उच्च पदों पर भी आसीन दिखाई दे रही है। फिर चाहे वह पेप्सिकों की चेयरपर्सन इन्द्रा नूई हो, बायोटेक सर्वेसर्वा किरण मजूमदार शॉ हो, भारतीय मूल की कल्पना चावला व सुनीता विलियम्स हों तथा बैंकिंग संस्थानों की प्रमुख नैनालाल किदवई, चन्द्रा कोचर, कल्पना मोरापिया, मीरा एच० सान्याल, ललिता गुप्त हों या मीडिया का नेतृत्व करने वाली सागरिका घोष व बरखा दत्त हो, देश का नेतृत्व करने वाली सोनिया गाँधी, प्रतिभा पाटिल व सुषमा स्वराज हों। हर पद पर वे बड़ी कुशलता से अपने दायित्व निभा रही है। आज महिलाऐं संसद में बैठकर देश में राज करने से लेकर ग्राम पंचायतों में सरपंच तक अपना ओहदा बनाये हुए हैं।

यदि वर्तमान सदी की बात करें तो वास्तव में 21वीं सदी नारी की सदी प्रतीत होती है। महिलाओं को सबल एवं स्वस्थ बनाने के लिये विशेष योजनाओं के साथ–साथ विभागीय योजनाओं में भी महिलाओं को खास महत्व दिया गया। स्वास्थ्य विभाग व परिवार कल्याण की तरफ से सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना, जच्चा–बच्चा सुरक्षा अभियान, जननी सुरक्षा, आर्थिक सौभाग्यवती योजना, आशा योजनायें महिलाओं के लिये बनी हैं। इन सबके साथ–साथ महिलाओं ने कारपोरेट, प्रशासक प्रबन्धन व्यवसाय, चिकित्सा, शिक्षा, पुलिस सेवा, संगीत, गायन यहाँ तक कि हवाई जहाज उड़ाने तथा रेलगाड़ी चलाने जैसे अद्भुत कार्य करके यह दिखा दिया है, कि 21वीं सदी नारी सदी है। जिसका जीता जागता उदाहरण देश के प्रथम नागरिक के रूप में महिला ही है, जैसे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तथा प्रधानमंत्री व कई राज्यों में मुख्यमंत्री, सांसद व विधायक आदि महिलायें हैं, जिन्होंने पुरूषों की अपेक्षा अधिक प्रभाव जनता पर छोड़ा है। दिल्ली राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमती शीला दीक्षित, सुश्री मायावती, कारपोरेट जगत कें इन्द्रा नूई, खेल जगत में सायना नेहवाल, सानिया मिर्जा, पी.टी. ऊषा, संगीत जगत में लता मंगेशकर, अल्का याग्निक, आशा भोसले, फिल्मी जगत में ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, प्रियंका चौपड़ा, लारा दत्ता तथा कमजोरी की लाठी बन महिलाओं को उनका हक दिलाने वाली सम्पत पाल, नीलम चतुर्वेदी और भी कई महिलायें हैं जिन्होंने अपने अधिकारों, कर्तव्य व शक्ति को जाना और उनमें दूसरों के मार्गदर्शक का जज्बा देखने को मिलता है। नारी शब्द को व्यक्त करने के लिये शब्दों का अभाव हो जायेगा क्योंकि नारी को हमारे देश में देवी, माँ, बेटी, बहन, दादी, नानी, बुआ आदि का दर्जा प्राप्त है।

क्या यही है वास्तविक सशक्तीकरण : मूल्य शिक्षा की आवश्यकता

आज की नारी शिक्षित हो तो रही है और शिक्षा जगत की पराकाष्ठा का भी संस्पर्श कर रही है, फिर भी समाज तथा परिवारों में विघटन एवं अशान्ति ही चारों ओर दृष्टिगत हो रही है, शिक्षा के लिये कहा गया है कि ''सा विद्या या विमुक्तये'', ''विद्या ददाति विनयं'' लेकिन आज की शिक्षा बन्धनग्रस्त, तनावग्रस्त एवं अहंकारी बना रही है। आज की नारी ने पद, प्रतिष्ठा तथा धनार्जन तो खूब किया परन्तु उसने अपने जीवन की शान्ति को खो दिया है, क्योंकि आज की नारी अधिकार छीनना जानती है, कर्तव्य करना नहीं, आज की नारी को पाश्चात्य संस्कृति ने दिग्भ्रमित कर दिया है जो बहूमूल्य समय मौलिक एवं सृजनात्मक चिन्तन में लगाना चाहिए था। वह समय केवल अंग्रेजी भाषा सीखने तथा रटने में गंवाना पड़ा

जबकि हमारी वैदिक शिक्षा में सदा से ही नैतिकता, मानवता तथा चरम मूल्यों को वास्तविक महत्व दिया गया है।

वैदिक शिक्षा ने जिन मूल्यों की स्थापना की वे विश्व के समस्त मनुष्यों के लिए उपयोगी एवं अनुकरणीय रहे हैं, यही शिक्षा ''वसुधैव कुटुम्बकम'' एवं सर्वभूत हितेरताः की उद्भावना को चरितार्थ करने में समर्थ हो रही है। परन्तु आज सतत मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है। अतः वर्तमान समय में मूल्य शिक्षा ही नारी को सशक्त करने में उच्च मनोबल तथा आत्मबल सबल हो सकता है नारी का चारित्रिक गठन ही नारी का सशक्त गठन होता है।

अतः नारी सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को शक्तिशाली बनाना तथा उन्हें वे सारे उपकरण और साधन उपलब्ध कराना है जिनकी सहायता से वे उन्नति कर सके और आगे बढ़ सके। भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व में आज महिला सशक्तिकरण का दौर है। इस विषय पर निरन्तर विचार विमर्श, संगोष्ठियां तथा कार्यशालायें आयोजित की जा रही है तथा सरकारों द्वारा विभिन्न नियम और काननू बनाये जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप अब नारी हर क्षेत्र में काम करने लगी है। कानूनों में व्यापक संशोधन किये गये हैं ताकि महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक स्थिति में सुधार हो सके। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1950 के अन्तर्गत माता पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को पुत्रों के समान ही सम्पत्ति का अधिकार दिया गया। 1978 में बाल विवाह अधिनियम के द्वारा बालिकाओं की विवाह की आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी और बाल विवाह को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। इसके बाद भारतीय संसद द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता और अपराध प्रक्रिया संहिता आदि में व्यापक संशोधन किये गये ताकि महिला उत्पीड़न के मामलों को रोका जा सके। महिलाओं की खरीद फरोख्त तथा वैश्यावृत्ति को गैर कानूनी घोषित किया गया। दहेज विधेयक कानून के द्वारा दहेज लेने और देने को अपराध मानते हुए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। महिलाओं के आर्थिक विकास हेतु कई कार्यक्रम चलाये गये जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, गंगा कल्याण योजना, जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आदि में महिलाओं को प्रमुखता दी गयी। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाना है।

अब प्रश्न यह उठता है कि महिला सशक्तिकरण के मामले में हम कितने सफल हुये हैं। इसमें जरा भी सन्देह नही हैं, किसी भी समाज को विकसित और सभ्य तभी कहा जा सकता है, जब उस समाज के प्रत्येक वर्ग की राजनीति में भागीदारी हो, जहां सभी को समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो तथा समान शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध करायी जायें। आज हमारी आधी से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलायें विकास की दौड़ में पीछे रह गयी है। ऐसी स्थिति में हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि महिलाओं की आधी दुनिया आज समाज की सबसे निर्बल वर्ग है।

आर्थिक निर्भरता के बिना क्या हम नारी सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं ? नारी को आत्म–निर्भर बनाने की बात जोर शोर से की जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ प्रतिशत महिलाओं को छोड़कर अधिकांश महिलायें आज भी आर्थिक रूप से पुरूषों पर आश्रित है। ग्रामीण महिलायें पूरे समय काम में लगी रहती है। फिर भी उन्हें कामकाजी नहीं माना जाता है, इन महिलाओं की विडम्बना ही है, कि उनके इस महत्वपूर्ण काम को उनका कर्तव्य मानकर भुला दिया जाता है। उन्हें कोई श्रेय नहीं मिलता है। शहरों की कुछ कामकाजी महिलाओं की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है। उन्हें आफिस के साथ–साथ घर की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। इस तरह उन्हें दोहरी जिन्दगी जीनी पड़ती है और बदले में मिलता कुछ भी नहीं है।

शिक्षा के बिना महिला न तो जागरूक हो सकती है और न ही सशक्त। गांव के लोग आज भी बालिकाओं को विद्यालयों में भोजने से कतराते हैं। जो बालिकायें किसी तरह से विद्यालय पहुँच भी जाती है तो वे अनेक सामाजिक, आर्थिक कारणों से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। सच्चाई यह है कि गांव में मात्र 4 प्रतिशत बालिकायें ही कॉलेजों में पढ़ पाती है। इस प्रकार अधिकांश बालिकायें शिक्षित नहीं हो पाती है, अथवा शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर नहीं मिल पाते तो फिर कैसा महिला सशक्तिकरण।

यही हाल नारी राजनीति का भी है, राजनीति और सत्ता में भागीदारी रूपी बैरोमीटर से किसी भी समाज के विकास का आंकलन आसानी से किया जा सकता है। सत्ता में हिस्सेदारी होगी तो अधिकार भी सुलभ होंगे और एक अधिकार सम्पन्न समाज ही सशक्त समाज कहलाता है। लेकिन दुर्भाग्य से यदि राजनैतिक हिस्सेदारी के दृष्टिकोण से देखें तो महिलायें बेहद निर्बल हैं। संविधान का 73वाँ और 74वाँ संशोधन करके महिलाओं को पंचायत स्तर पर 33 प्रतिशत का आरक्षण तो जरूर दे दिया गया है लेकिन यह व्यवस्था महिलाओं को राजनैतिक रूप से जागरूक करने में असफल रही है। यही कारण है कि कुछ महिलाओं को छोड़कर अधिकतर महिलायें आज मुखौटा ही साबित हो रही हैं। उनके द्वारा किये जाने वाले राजनैतिक निर्णयों के पीछे किसी और के सोच और विचार होते हैं। वे तो मात्र कठपुतलियों की भांति दूसरे के इशारे पर चलने के लिये विवश रहती हैं। यदि राजनैतिक भागीदारी नहीं, सत्ता में हिस्सेदारी नही तो फिर कैसा विकास और कैसा सशक्तिकरण। यह है सच्चाई नारी सशक्तिकरण की। आज हम नारी सशक्तिकरण की बातें तो करते हैं लेकिन एक आम महिला को मिलता है, केवल तिरस्कार।

कोख से कब्र तक यही कारण है कि आज महिलायें असुरक्षित है। हमारे देश में पुरूषों के मुकाबले में महिलाओं की संख्या में तेजी से कमी आ रही हैं। महिलायें कम हो रही है क्योंकि उनमें जन्म लेने तक का अधिकार छीन लिया जाता हैं। जो समाज अपनी अजंन्मी बेटियों से जीने तक का अधिकार छीन लेता है, उसे हम सभ्य कैसे कह सकते हैं। यदि वास्तव में नारी सशक्तिकरण के नारे को असली जामा पहनाना है, तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें महिलाओं को जागरूक करना होगा और उन्हें उनके अधिकार दिलाने होंगे।

समाज में महिलाओं की दशा में सुधार लाने के लिए महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है, महिलाओं की परिवार और समाज में सुरक्षा के लिए धरेलु हिंसा अधिनियम जैसे कई तरह के कानून बनाये जा रहे हैं लेकिन इसका फायदा हर एक महिला को नहीं मिल पा रहा हैं। इसका एक बहुत बडा कारण है कि वैधानिक शिक्षा का अभाव। आज महिलाऐं शिक्षित तो हो रही हैं परन्तु वैधानिक स्तर पर वे साक्षर नहीं हैं। यही कारण है कि वे अपने अधिकारों को पहचानने में असमर्थ हैं। इसी लिए इतने कानून बनने के बाद भी समाज में महिलाओं का शोषण हो रहा हैं। इलाज की कमी की वजह से माँ न बन पा रही महिलाओं की स्थिति तो मन को झकझोर देने वाली है। आज भी बेटी पैदा होती है तो उसके लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार माना जाता है। कन्या भ्रूर्ण हत्या जो हर दिन बढती ही जा रही है और धटा हुआ लिंगानुपात भविष्य में महिलाओं की असुरक्षा को दर्शाता है। अतः महिलाओं को वास्तव में शक्तिशाली बनाने के लिए पहले समाज की सोच को बदलना पडेगा। शिक्षारूपी दीपक से समाज में फैले अशिक्षा रूपी अन्धकार को मिटाना पड़ेगा। हमारे देश में आज भी ऐसी जगहों की कमी नहीं है, जहाँ लोग यह सोचकर अपनी बेटी की पढाई छुडवा देते हैं कि इसको तो दूसरे घर जाना है, ये पढ़कर क्या करेगी, केवल इतना पढ़े कि शादी ठीक–ठाक हो जाये। इन सब

परेशानियों के बाद भी जब कोई लड़की किसी न किसी तरह पढ–लिख जाती है और अपनी मेहनत के बल पर कोई नौकरी पा जाती है, तब भी परिवार वालों की मर्जी के बिना वह नौकरी नहीं कर पाती हैं। जब तक महिलाओं के लिए पनपी इस तरह की धृणित सामाजिक सोच को न बदला जाये, उनके मॉ–बाप द्वारा, उन्हें मानसिक रूप से मजबूत करके दूसरे के घर न भेजा जाये, शिक्षा सुचारू रूप से सभी महिलाओं तक न पहुँच जाये, अपने अधिकारों को सभी महिलायें न पहचान लें, सभी महिलाओं में शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति न आ जाये, तब तक महिला सशक्तिकरण सही मायने में नहीं हो सकता है।

अतः आज आवश्यकता है इस बात कि हम नारी को वर्तमान समय में इतना सशक्त बनायें जिससे वह जीवन के हर क्षेत्र में स्वयं को सक्षम बना सके, क्योंकि आज की नारी के अन्दर छिपी हुई प्रतिभा, योग्यतायें, तथा क्षमताओं को पहचानने की आवश्यकता है। सदियों से उनकी इन छिपी हुई शक्तियों को दबाया जा रहा हैं। अतः वर्तमान समय में उनके अन्दर शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। यह कार्य शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। आज की नारी का शैक्षिक उत्थान अत्यावश्यक हो गया है क्योंकि इससे ही देश, समाज और परिवार का उन्नयन सम्भव है।

महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल ने शपथ ग्रहण के सम्बोधन में कहा था कि ''मैं शिक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ और चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरूष आधुनिक शिक्षा से वंचित न रहे।'' मेरे लिए महिलाओं का सशक्तिकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इससे राष्ट्र को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, योजना मासिक पत्रिका, अक्टूबर 2008 पेज नं. 40।
2. महिला शिक्षा क्यों और कैसे ? एक विवेचना कुरूक्षेत्र सितम्बर 2006, पेज नं. 55।
3. शिक्षा के बदलते मानक, कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका, 2006 पेज नं, 52।
4. सामाजिक विकास में शिक्षित महिलाओं का योगदान, पेज नं. 53।
5. युग निर्माण योजना, जुलाई 2007, पेज नं. 22,23।
6. अखण्ड ज्योति, मार्च 2007, पेज नं. 24–25।
7. अग्रवाल जे.सी. 2003 : 'भारत में नारी शिक्षा', विद्या बिहार, नई दिल्ली, पेज नं. 101।